कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 829 / 2021 / 10–11 / 678 भोपाल, दिनांक 23/02/2022

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष **RF-827 &RF-828** के रकबा 142.075 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 9.020 हे. राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे. वनभूमि में बिक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का– मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव आन लाईन प्रस्ताव क्र. **FP/MP/MIN/49537/2020**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./8-34/2021-FC दिनांक 17/01/2022

––––0–––

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./8-34/2021-FC दिनांक 17/01/2022 से 09 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	High resolution satellite imagery shows the presence of Agriculture land and Settlements /built up area within forest land proposed for diversion as well as within the Mining lease boundary. The same needs clarification.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण शहडोल द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वनभूमि पर कुल 15 व्यक्तियों को 10.238 हेक्टेयर वनभूमि में पट्टे दिये गये है जिसका विवरण संलग्न है।
ii	High resolution satellite imagery shows that plantation activities have been carried out in the past within the forest land proposed for diversion. The same needs clarification.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण शहडोल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित माईनिंग क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऊर्जावन वृक्षारोपण, लघु वनोपज ऊर्जावन वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति कैम्पा वृक्षारोपण किया गया है वर्षवार एवं रोपित पौधों की सूची संलग्न है।
iii	The KML file of safety zone comprising 6.881 ha has not been found uploaded on PARIVESH	सेफ्टीजोन क्षेत्र रकबा 6.881 हेक्टेयर की KML file परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
iv	As per SoI Toposheet Map, one CA patch in the village: Lachhanpura, District: Sagar is falling in the Protected Forest. The same needs revision.	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी जा रही गैरवनभूमि, वनभूमि से घिरी हुई है। वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर द्वारा पत्र क्रमांक 944 दिनांक 9/03/2021 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला सागर के ग्राम लछनपुरा की प्रस्तावित भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 में अधिसूचित किसी भी वनखण्ड की सीमा के अन्तर्गत

		नहीं आती है। बिरला कार्पोरेशन को प्रदाय की जा रही उक्त प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है व उपयुक्तता प्रमाण पत्र Annexure-III पर संलग्न है।
v	In the purpose wise breakup 3.123 Ha is proposed to be used for mining infrastructure. The detail along with justification for not using non-forest land for this purpose may be specified.	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि बिक्रम कोल माइन की स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान प्रविष्टियॉ और उससे संबंधित अधोसंरचना अर्थात् सीएचपी, कोल स्टॉक यार्ड, पिट कार्यालय आदि वनक्षेत्र में आते है। यह रणनीतिक और साइट विशिष्ट है। अतः अधोसंरचना के लिए 3.123 हैक्टेयर वनभूमि प्रस्तावित की गई है।
vi	The Cost Benefit analysis is required to be revised as per the guidelines of the Ministry and keeping in view the revised rates of the NPV.	पुनरीक्षित Cost Benefit analysis रिपोर्ट की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। प्रति Annexure-IV पर संलग्न है।
vii	As per Part-1 the project is located within a scheduled area, therefore the feasibility of the same is required to be examined by the state Govt. in view of relevant acts, rules and orders of Honorable courts.	इस प्रकार की वनभूमि को खनिज हेतु देने के लिये किसी प्रकार की रोक नहीं है।
viii	As per the proof of ownership submitted the NFL proposed for CA is not free from all encumbrances as the same is mortgaged to a bank. Along with the willingness of the owners of the NFL it has to be ensured that the proposed land is free from all encumbrances.	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैरवनभूमि वन विभाग को सौंपते समय परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेंगा कि उक्त भूमि सभी भारों से मुक्त हो। भूमि स्वामियों की सहमति का अनुबंध Annexure-VI पर संलग्न है।
ix	State Govt. will also ensure to submit the copy of the approved Mine reclamation and Mine closure plan in respect of Open cast and Underground mining areas.	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमोदित खनन योजना के एक भाग अनुसार माईन्स रिक्लेमशन एवं माइन्स क्लोजर प्लान अनुसार किया जावेगा।

अतः मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लि. के पत्र दिनांक 01/02/2022 एवं वन मंडल अधिकारी, दक्षिण शहडोल के पत्र क्र. 297 दिनांक 22/2/2022 से प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रकरण में अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

23/2/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 829 / 2021 / 10–11 / 679 भोपाल, दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्य प्रदेश ।

2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण शहडोल मध्य प्रदेश

3 मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटे, सतना, कैम्प बुढ़ार, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

23/2/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C